

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक 412/F-2016-04-03172/ब-4/चार,  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 29/06/2017


समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :- पी.एफ.एम.एस. (Public Financial Management System) अंतर्गत केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग हेतु राज्य योजनाओं का क्रियेशन

पी.एफ.एम.एस. (Public Financial Management System) के अंतर्गत विगत वर्ष के भाँति केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग हेतु राज्य योजनाओं का क्रियेशन किया जाना है । इस कार्य हेतु दिनांक 18 तथा 19 अप्रैल, 2017 को विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण के समय अवगत कराया जा चुका है, किन्तु आज तक कुल 19 Scheme creation एवं 03 Scheme Mapping कार्य पूर्ण हुआ है ।

2- पी.एफ.एम.एस. के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त मार्ग-दर्शिका वित्त विभाग के वेब साइट <http://finance.cg.gov.in> में उपलब्ध है । वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1754/F-2016-04-03172/ब-4/चार, दिनांक 21.2.2017 द्वारा जारी किया गया है। जिसमें सेक्शन-2 के अंतर्गत पेज नं. 17 से 39 में Scheme creation एवं Scheme Mapping के संदर्भ विस्तृत रूप से समझाया गया है।

3- अतः उक्त संबंध में अनुरोध है कि विभाग संबंधित अधिकारी को संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में स्थित कक्ष क्रमांक I-1-01 तथा I-1-02 पी.एफ.एम.एस. प्रकोष्ठ में दिनांक 3.7.2017 से 5.7.2017 तक पीएफएमएस प्रकोष्ठ के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री स्वातिक पानी, मो. 94391-02908 तथा ऑपरेशनल मैनेजर श्री विपुल कुमार राजपूत, मो. 97700-90894 से मार्ग-दर्शिका अनुसार वांछित जानकारी तैयार कर संलग्न-परिशिष्ट-I प्रपत्र में चाही गई जानकारी के साथ संलग्न-परिशिष्ट-II अनुसार निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर Scheme creation/Mapping करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।  
संलग्न :- यथोपरि।

  
(अमिताभ जैन)  
प्रमुख सचिव

पृ.क्रमांक 413/F-2016-04-03172/ब-4/चार,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 29/06/2017

1. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
2. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
3. श्री एच.एस. त्रिपाठी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नया रायपुर
4. श्री प्रदीप बघेल, प्रोग्रामर, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ महानदी भवन, नया रायपुर
5. श्री स्वातिक पानी, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं श्री विपुल कुमार, ऑपरेशनल मैनेजर, पीएफएमएस, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न :- यथोपरि ।



(अमिताभ जैन)  
प्रमुख सचिव

निर्धारित प्रपत्र

SL. No.	Name & code of Centrally sponsored scheme	Corresponding state scheme details for scheme creation	State scheme and its budget code for mapping with the corresponding centrally sponsored scheme	Details of State scheme manger & MIS user (State scheme should be clearly mentioned for each SSM & MIS user)
1	2	3	4	5

- टीप :- 1. प्रशासकीय विभाग से State scheme manger नामांकित किया जाना है, जो कि सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव स्तर तक होना चाहिए ।
2. विभागाध्यक्ष कार्यालय से MIS user नामांकित किया जाना है जो कि संचालक /अपर संचालक स्तर तक होना चाहिए ।

स.क्र.	कोड	विभाग का नाम	उपस्थित होने का दिनांक
1	02	गृह विभाग	दिनांक 03.07.2017
2	18	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	
3	50	महिला एवं बाल विकास विभाग	
4	07	राजस्व विभाग	
5	28	पुनर्वास विभाग	
6	20	स्कूल शिक्षा विभाग	
7	22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
8	30	संस्कृति विभाग	
9	33	पर्यटन विभाग	
10	08	परिवहन विभाग	
11	09	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	
12	10	वन विभाग	
13	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	दिनांक 04.07.2017
14	25	आदिम जाति कल्याण विभाग	
15	13	ऊर्जा विभाग	
16	21	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	
17	14	कृषि विभाग	
18	06	धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग	
19	16	श्रम विभाग	
20	19	लोक निर्माण विभाग	
21	17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
22	53	चिकित्सा शिक्षा विभाग	
23	26	समाज कल्याण विभाग	
24	29	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	

25	31	जल संसाधन विभाग	दिनांक 05.07.2017
26	40	आयाकट विभाग	
27	35	पशुपालन विभाग	
28	38	उच्च शिक्षा विभाग	
29	41	विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग	
30	42	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	
31	43	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	
32	34	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	
33	36	मछली पालन विभाग	
34	23	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	
35	52	ग्रामोद्योग विभाग	